



ST. THOMAS SCHOOL

SAHIBABAD

Sector IV, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, U.P. 201 005

(Affiliated to CBSE Vide No. 2130263, School Code- 60123)

05.08.2026

Clarification Regarding Recognition Beyond Class VIII

As per the prevailing education laws and regulations of the Government of Uttar Pradesh, the District Basic Education Officer (BSA) grants permanent recognition only up to **Class VIII**. Recognition for classes beyond Class VIII falls under the jurisdiction of the **Secondary Education Department** and is regulated through **CBSE Affiliation**.

Our school already holds a valid **CBSE Secondary Affiliation (Affiliation No.: 2130263)**. The present application is solely for the **upgradation of the existing affiliation from Secondary to Senior Secondary level**.

Therefore, the absence of a separate permanent recognition certificate from the BSA for classes beyond Class VIII is in accordance with the applicable statutory provisions and should not be treated as a deficiency in the application.

We request the competent authority to kindly consider this clarification while processing our application for Senior Secondary upgradation.


Dious Mathai

Principal

PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.



कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक /मान्यता/ शि० सं० / 51 पा-42 / 2021 -22

दिनांक 25/3/2022

प्रबन्धक,

सेंट थॉमस स्कूल,

से०-4 लाजपतनगर साहिबाबाद गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 21-03-2022 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को कक्षा-नर्सरी से कक्षा 08 तक माध्यम-हिन्दी/अंग्रेजी की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय के पत्रांक/ मान्यता -शि० सं०/17252-54/2018-19 दिनांक 31-03-2019 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या- 89/ अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196 /अडसठ- 3-2020 -2041 /2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होना अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ० सं०/शि०स०/

/ 2021-22 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।



(Signature)

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

NO : CBSE/2130263/EX-03773-2324/2023-24/

Dated: 02/10/2022

**The Manager,
ST THOMAS SCH SECT-IV SAHIBABAD GHAZIABAD UP
SECTOR-IV LAJPAT NAGAR, SAHIBABAD UTTAR
PRADESH, GHAZIABAD, 201005 (M: 0120-2631336)**

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level .

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	2130263
School No	60123
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2023 to 31.03.2028

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)



**DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.**

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	Up to Class-XII The number of sections shall be restricted in accordance with 'H' above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
- The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school. - The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school. - For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet				

Important Notes : NA

School is required to appoint special educator & wellness teacher as per affiliation bye laws.

This is an electronically generated document. It does not need any signature.

To verify the authenticity of the document, please visit

(<http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport>).



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR^{2/2}
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

From

Shri. Ashok Ganguly
Deputy Secretary
U.P. Govt.

To

Secretary
Central Board of Secondary Education
District Centre, 2 Community Centre
Preeti Vihar, New Delhi.

Education (7)Dept.

Lecknow Dt. August 1995.

Sub. ST. THOMAS SCHOOL, SECTOR 4 LAJPAT NAGAR
SAHIBABAD, GHAZIABAD, AFFILIATION TO THE
CBSE - ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE
REGARDING.

Sir,

On the above mentioned subject, I am directed to say that subject to the following condition the State Govt. have No objection in granting affiliation by the C B S C to St. Thomas School, sector-4, Lajpat Nagar, Sahibabad.

- (1) The registration of the society which runs the school will be renewed from time to time.
- (2) A nominee of the Director of Education will be appointed to the Governing Body.
- (3) 10% of the seats will be reserved for children of SC/ST and they will not be charged more than the fees payable by them in the schools run by the Board of Secondary Education, Uttar Pradesh.
- (4) The Institution will not seek recognition from the State Govt. If already recognised by the Board of Secondary Education/ Basic Education Board and the school to affiliated to the CBSE / Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi; subsequently, the recognition from the State Govt. will automatically be cancelled from the date of affiliation to the above Board/ Council.
- (5) The teaching and non teaching staff will not be paid the pay and allowances less than that paid to Govt. aided schools.
- (6) The service condition of employees will be made and these condition will be comparable to non-Govt. (aided) Higher Secondary School.
- (7) The institution will follow the instruction issued by the State Govt. from time to time.
- (8) The records of the school will be maintained in the prescribed manner.
- (9) The above conditions will not be altered/reduced or relaxed without the approval of the State Govt.



DIOUS MATHAI

Scanned with CamScanner

ST. THOMAS SCHOOL,
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

- 2
2. It is also stipulated that there are no untrained teachers in the school and the nursery classes are not conducted by the school ^{by the school} is recognised from class I onwards only.
 3. The institution has to strictly follow the above condition and if at any time its found that the institution is not following the above conditions or has deviated or relaxed the above condition, the State Govt. shall with draw the + + above permission.




DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

५५५

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

जी अमीर गांधी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेधा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
कक्षा केन्द्र 2 समूह, केन्द्र,
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

विषय: 171 अनुमान

संख्या: दिनांक:

अगस्त, 1995.

विषय:- तेन्ट वास्तु स्कूल तेन्ट-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, नाबियाबाद को तोड़वाकर तोड़ने, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनायास दुर्घटना पर दिए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अनुज्ञा विषय पर मुझे यह खबर का निदेश हुआ है कि तेन्ट वास्तु स्कूल तेन्ट-4, लाजपत-नगर, साहिबाबाद, नाबियाबाद को तोड़वाकर तोड़ने, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनायास दुर्घटना पर दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवेष्टित नहीं है ।

- 111- विद्यालय को पंजीकृत तोताहटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्त्रिय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/राज्य शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/राज्य शिक्षा परिषद/राज्य शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वीकार किया जायेगा ।
- 151- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षक-कर्मचारियों को राजकीय सेवाय प्राप्त शिक्षक संस्थाओं से के कर्मचारियों को अनुमति देना तब तक नहीं दिया जायेगा ।
- 161- कर्मचारियों की सेवाओं का कोई भी नहीं करायेगी और उन्हें तब तक प्राप्त आवासीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति से स्थापित किया जायेगा ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रबन्ध/व्यवस्थाओं में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त कक्षा में राज्य सरकार के प्राविष्टान के शिक्षा कोर्ड वरिष्ठा/राज्य शिक्षा परिषद नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को नहीं है तथा नारी कक्षा में स्थापित नहीं है । यह विद्यालय तथा-1 से मान्य किया जाये ।

---2/-



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर या विचलितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा।

अतः,

अज्ञात मांगी।
उप तथ्य।

संख्या- 3612111/15-7-1681291/92, तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित दो सुझाव एवं आवश्यकताओं हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
- 2- मण्डलाध्यक्ष उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
- 3- शिक्षा निदेशक निरीक्षक, गांधीबाबाद
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ
- 5- प्रबन्धक, लेनर थॉमस स्कूल, 4 साजवतनगर, साहिबाबाद, गांधीबाबाद।

आज्ञा है,

अज्ञात मांगी।
उप तथ्य।



[Handwritten signature]

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, CHAZIABAD U.P.

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

लेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पाके रोड,
शिपिर कॉपिलि,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा०/

/93-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेंट थॉमस स्कूल, गेजरी माध्यम, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद की सेंट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेंट थॉमस स्कूल, गाजियाबाद ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु
उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय
का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संग्रह कर प्रेषित की जा रही है ।

संग्रह:- उक्त पत्र

भवदीय

डा० आर० पी० मथाली
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पु० सं०/मा०/

19653-55

/93-94 उन्नी तिस्रों को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को तयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7, अनुभाग, लखनऊ ।

2-

प्रबंधक, प्राधानायाय, सेंट थॉमस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद
गाजियाबाद ।

डा० आर० पी० मथाली
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

बोरा/1993



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रेमक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिपिर कार्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक/मा0/

/93-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेंट थॉमस स्कूल, गौरी बाग, मेरठ-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता
हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेंट थॉमस स्कूल, गाजियाबाद ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकेंडरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिस जाने हेतु
उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है। दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय
का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संग्रह कर प्रेषित की जा रही है।

संग्रह:- उत्तम

प्रदीप

डा० आर० पी० मथुरा
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

प० सं०/मा०/ 1965 5 55 /93-94 उती तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सपनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7, अनुभाग, लखनऊ।
- 2- प्रबंधक, प्राधानायाय, सेंट थॉमस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद,
गाजियाबाद।

डा० आर० पी० मथुरा
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

बोरो/1993



DIJUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

प्रिय शाकिर अली जी,

मैं यह प्रार्थना पत्र सेंट थॉमस आपोजिम्स चर्च सोसायटी ॥ रजि०॥ गजियाबाद की सी० बी० एस० इ० से मान्यता के लिए आपके एन० ओ० सी० के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिसकी फाइल आपकी मान्यता के लिए आपके आफिस में ही है।

सेंट थॉमस स्कूल आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने में समर्थ हूँ और अगर इसे सी० बी० एस० इ० से मान्यता नहीं मिली तो इस करीब 1500 विद्यार्थी व उनके अभिभावक परेशान होंगे।

अतः आशा है कि उपरोक्त स्कूल की सी.बी.एस.इ. से मान्यता के लिए आप शीघ्र ही एन. ओ. सी. प्रदान करेंगे।

धन्यवाद

शी शाकिर अली,
शिक्षा मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

॥ के० सी० त्यागी ॥



DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

17/12/92

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

श्री उशीर माथुली,
उर तपिल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा मे

तपिल
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग 2 समुदाय केन्द्र,
प्रतिष्ठित विचार, नई दिल्ली

दिनांक 17/12/92

संख्या: दिनांक: 21 अगस्त, 1992.

विषय:- केन्द्र धारक स्कूल केन्द्रीय-4 साजवाहनग, साहिबाबाद, नाजिबाबाद को सी.टी.एस.सी. नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कने का निदेश हुआ है कि केन्द्र धारक स्कूल केन्द्रीय-4, साजवाहनग, साहिबाबाद, नाजिबाबाद को सी.टी.एस.सी. नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यार्थियों को परीक्षा सीटों की तय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
 - 121- विद्यार्थियों की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
 - 131- विद्यार्थियों में कम से कम एक प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित विद्यार्थियों के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
 - 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थियों के माध्यमिक शिक्षा परिषद से/किसी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थियों की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/किसी सरकार द्वारा स्थापित सीटों के अन्तर्गत है, नई दिल्ली में प्राप्त होती है तो इस बरीदा परिषदों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा: स्थापित हो जायेगी ।
 - 151- संस्था के शिक्षक एवं अध्यापकों को राज्य की सेवा प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य पैमानों तथा अन्य भागों से कम जानमान तथा अन्य भागों नहीं दिए जायेंगे ।
 - 161- कर्मचारियों की सेवा की क्वाली जायेगी और उन्हें तथाका प्राप्त अनापत्ति पत्र प्राप्त कराये जायेंगे ।
 - 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
 - 181- विद्यार्थियों का शिक्षा निर्धारित प्रश्न/परिक्षाओं में रखा जायेगा ।
 - 191- उक्त शांति में राज्य सरकार के प्राविधिक के बिना कोई परिकल्पना/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाये ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होता है कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गों के छात्रों का प्रतिशत नही है तथा नतीजा कायें विद्यार्थियों में संशोधित नहीं है । यह विद्यार्थियों का-1 से मान्य किया जाय ।



---2'---


DIOUS MATHAI
PRINCIPAL

ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का झूठ या भिन्नता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तापत में रद्द कर दिया जाएगा।

अधीन,

ह. —

13मई मांगुली।
उप तहसिल।

Prankin Sahibabad

Prankin

29.2.95

संख्या- 3612111/15-7-1611291/92, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित दो सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०पु०, लखनऊ
- 2- मण्डलाध्यक्ष उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
- 3- शिक्षा विभागध्यक्ष निरीक्षक, गांधीबाबाद
- 4- निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय, उ०पु०, लखनऊ
- 5- प्रमुख, सैन्य पोस्ट दफ्तर, 4 साजवतनगर, ता. हनुमानगढ़, गांधीबाबाद।

जाता है,

ह. —

13मई मांगुली।
उप तहसिल।



Signature

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

पृष्ठ,

संख्या- 3612/15-7-1611291/92.

श्री श्रीक गुरुजी,
उप प्रधान,
दत्तार पुस्तक भवन ।

मेरा प्र,

प्रति,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग केन्द्र 2 मन्दापन केन्द्र,
पुस्तक विभाग, नई दिल्ली

दिनांक 17 अगस्त

संदर्भ: दिनांक: 21 अगस्त, 1995.

विषय:- केन्द्र प्रमुख स्कूल केन्द्र-4 माध्यमिक शिक्षा परिषद, माहिबाद को सीओओएसओ, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु आचार्यता प्रमाण पत्र पत्र के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कदम का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रमुख स्कूल केन्द्र-4, माध्यमिक-मह, माहिबाद, माहिबाद को सीओओएसओ, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपात नहीं है ।

- 111- विद्यार्थियों को पंजीकृत मोताबकी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यार्थियों की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यार्थियों में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहे और उन्हें उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है कि अनुसूचित जाति वर्गों की जायेगी और यदि वह में विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा परिषद के/विशेष शिक्षा परिषद के माध्यम से जायेगी विद्यार्थियों की सम्बन्धित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/विशेष शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रमाणपत्र, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो इस प्रमाणपत्र के तहत सम्बन्धित प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थियों के माध्यम से राज्य सरकार से अनुदान रखा: समाप्त हो जायेगी ।
- 151- शिक्षा निदेशक एवं निदेशक समितियों को राज्यीय स्तर पर प्राप्त शिक्षा निदेशकों के समितियों के माध्यम से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार से सम्बन्धित ।
- 161- समीक्षाओं को लेना ही सम्बन्धित जायेगी और उन्हें सम्बन्धित प्राप्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति निदेशकों के समितियों की अनुसूचित शिक्षा निदेशकों का कार्य सम्बन्धित ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर की भी निर्देश पत्रों को जारी, संलग्न उक्त पत्रों को ।
- 181- विद्यार्थियों का रिकार्ड निर्धारित अनुसूचित जाति/जनजातों में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना कोई प्रतिबन्ध/विशेष का प्रतिबन्ध नहीं किया जाये ।

2- प्रमाणपत्र का भी लेना कि शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित शिक्षा निदेशक विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति/जनजातों के वर्गों में सम्बन्धित जायेगी विद्यार्थियों में सम्बन्धित नहीं है । यह विद्यार्थियों का-1 के माध्यम से किया जाये ।



2/2

[Signature]

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

संख्या- 3512/19-7-1611291/92.

附 錄

[illegible]

ਸੰਨ: ੧੯੯੫: ੨

मिशन:- इस योजना के अन्तर्गत-4 राजस्वपत्रों का निष्काट, मा. निष्काट को सुविधा प्रदान करने, एवं
दिल्ली के सम्बन्धित हुए राजस्वपत्रों का निष्काट करने के लिये कार्य किया गया है।

उपरोक्त चिन्तन पर मुझे यह कहने का निश्चय हुआ है कि तेन्दू बाघों को खूब से देखना चाहिए, ताकि बाघों को सही ढंग से पहचाना जा सके। बाघों को खूब से देखना चाहिए, ताकि बाघों को सही ढंग से पहचाना जा सके। बाघों को खूब से देखना चाहिए, ताकि बाघों को सही ढंग से पहचाना जा सके।

- 111- विद्यवालय की नींवस्था सोताहरी का समय जब पर नवीनीकरण करवा जायेगा ।
- 121- विद्यवालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यवालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हीं के लिए उच्च शैक्षणिक शिक्षा वैरिण्ड द्वारा प्रदानित विद्यवालयों में आवश्यकताओं के लिए नियमित रूप से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- शिक्षा द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को समानता की भाँति नहीं की जायेगी और यदि वह में विद्यवालय माध्यमिक शिक्षा वैरिण्ड है/सैनिक शिक्षा वैरिण्ड है/अन्यथा राज्य के द्वारा विद्यवालय की माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वैरिण्ड/सैनिक कूर दि/सैनिक स्कूल/सैनिकीकृत इकाय/सैनिकी/को विद्यापीठ के रूप में होगी के तो उन परीक्षा परीक्षाओं के समान ही परीक्षा होने और नियम के वैरिण्ड है/अन्यथा तथा राज्य सरकार के अनुदान स्वतः समानता ही जायेगी ।
- 151- शिक्षा वैरिण्ड एवं विद्यवालय समितियों की राजकीय सुरक्षा राज्य शिक्षा वैरिण्डों के समान रहेंगे तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए आवश्यकताओं के अनुसार समानता ही जायेगी ।
- 161- सभी जातों की सेवा की समानता रहेगी और उन्हीं के द्वारा राज्य/जनजातीय अनुसूचित जाति/जनजाति के समानता की अनुसूचित जाति/जनजाति का समानता ही जायेगी ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समानता पर ही भी अधिक नियम रहे जायेंगे, मिला उनका समानता ही जायेगी ।
- 181- विद्यवालय का रिजर्व नियमित रूप से/सैनिकों में रहा जायेगा ।
- 191- उच्च जातों में राज्य सरकार के अनुसूचित जाति के द्वारा और वैरिण्ड/सैनिक का वैरिण्ड नहीं दिया जाये ।

2- प्रमाणित यह भी होता है कि जिस व्यक्ति पर पुनर्निर्धारित किया जाने कि विद्युतचाल में गुरुत्वित अन्वेषणार्थ जांचता नहीं है बल्कि किसी कारणों विद्युतचाल में जांचा जाता है। यह विद्युतचाल का-१ के माध्यम से



● 2 ●

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3- उक्त प्रतिपत्तियों का वाचन करके बताया है कि प्रतिवार दोपहर और यदि किसी समय यह राखा जाता है कि हरिया द्वारा उक्त प्रतिपत्तियों का वाचन नहीं किया जा रहा है अथवा वाचन करने में किसी प्रकार की देर या बिम्बिता वाली जा रही है तो राख्य करणार द्वारा पुरता अनुरक्ति पुनः यह वाचन के किया जाएगा ।

सादीय,

प्रमुख अधिकारी
उप निदेश

संख्या- 3612911/15-7-1601291/92, सादीय

प्रतिपत्ति निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं जानकारी के लिए प्रेषित:-

- 1- शिक्षा विभाग, उधु, 1885
- 2- मन्त्रालय एवं शिक्षा विभाग, 1885
- 3- शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग, मा विभाग
- 4- शिक्षा, उच्च भारतीय विद्यालय, उधु, 1885
- 5- प्रमुख, केन्द्रीय विद्यालय, 4 माध्यमिक, मा विभाग, मा विभाग

सादीय,

Signature

प्रमुख अधिकारी
उप निदेश

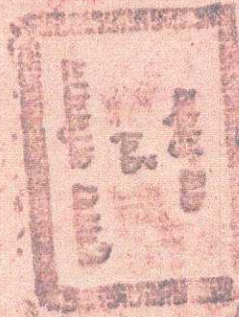


Signature

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL
ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.

3612/15-2

की सेवा के लिये



प्रमुख

सेन्ट थोमस स्कूल

प. लॉन्गपट नगर

साहिबगढ़

ॐ

DIOUS MATHAI
PRINCIPAL

ST. THOMAS SCHOOL
SECTOR-IV, LAJPAT NAGAR,
SAHIBABAD, GHAZIABAD U.P.